

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM

सं. ले.प.II/प्रशा./II/विदेशी लेखापरीक्षा/ 8-4/23-24

No.Au II/Admn/II/Overseas Audit/8-4/23-24

दि. 20.06.2023

परिपत्र/CIRCULAR NO.20

प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, लंडन में तैनाती हेतु नामिकायन के लिए इस कार्यालय के उत्कृष्ट सेवा अभिलेखों वाले वाणिज्यिक संवर्ग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा सहा.लेखापरीक्षा अधिकारियों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की चार प्रतियां प्रशासन अनुभाग (लेखापरीक्षा II) को दि. 23.06.2023 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाए।

Applications in the enclosed proforma are invited from Senior Audit officers and Assistant Audit Officers of Commercial Cadre of this office having outstanding records of service for empanelment for posting to Office of the Principal Director of Audit, London. Applications may be submitted in quadruplicate to Administration Section (Audit II) on or before 23.06.2023.

आवेदक निम्नोक्त पात्रता शर्तों के अनुरूप अवश्य हो/ The applicants must fulfil the following eligibility conditions

1. अधिकारियों / पदाधिकारियों का पिछले दस साल में कम से कम 7 पूर्ण वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 'उत्कृष्ट' हो। अधिकारियों / पदाधिकारियों की सेवा 10 वर्षों से कम होने के मामले में उनकी पूरी सेवा के दौरान कम से कम अपेक्षित संख्या में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 'उत्कृष्ट' हो।

Officers/officials must have at least 7 full years "Outstanding" APARs in the last ten years. In case, the total service of the officer/official is less than 10 years, he/she should have at least the required number of 'outstanding' APARs during her/his entire service.

2. दि.01.01.2023 तक व.लेप.अधिकारियों द्वारा संबंधित संवर्ग में कम से कम 3 साल की और स.लेप. अधिकारियों द्वारा 5 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।
Sr.AOs should have completed at least 3 years of service and AAOs should have completed 5 years of service in the respective cadre as on 01.01.2023.

3. व.लेप.अधिकारियों की आयु दि.01.01.2023 की स्थिति के अनुसार 53 वर्षों से अधिक न हो और स.लेप.अधिकारियों की आयु उपरोक्त तारीख तक 51 वर्ष से अधिक न हो। पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय कार्यालय में पहले कम से कम दो वर्षों की सेवा करने की स्थिति में आयु सीमा में एक वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी यानिकि व.लेप.अधिकारियों के लिए 54 वर्ष तथा स.लेप.अधिकारियों के लिए 52 वर्ष।

Sr.AOs should not be over 53 years of age as on 01.01.2023 and AAOs should not be over 51 years of age as on the above date. In case of officials who have earlier served in HQrs for at least 2 years, the age limit will be relaxed by one year, i.e 54 years for Sr.AOs, 52 years for AAOs.

4. अधिकारियों/ पदाधिकारियों द्वारा विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय में उनकी तैनाती के अंत तक सामान्य स्तर पर अगले ग्रेड में पदोन्नति की उम्मीद नहीं रखी जाए। हालांकि जो पदाधिकारी विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय में अपने कार्यकाल के अंत तक उच्चतर ग्रेड में अपनी पदोन्नति त्यागने के लिए तैयार हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

Officers/officials should not expect, in normal course, promotion to next grade till end of their posting in the overseas Audit offices. However, those who are willing to forego their placement on higher grade on promotion till end of their tenure in the overseas audit office may also apply.

5. जिन अधिकारियों/ पदाधिकारियों की, हमारे कार्यालयों में या किसी अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर/ विभागेतर विदेश सेवा पर विदेशी तैनाती (भूटान सहित) हुई हो, वे आवेदन देने के लिए योग्य नहीं हैं।
Officers/officials who have had a posting abroad (including Bhutan) either in our offices or in other offices, officers/officials on deputation/Foreign Service outside the Department are not eligible to apply.

6. विदेश में तैनात व.लेप.अधिकारियों/ स.लेप.अधिकारियों से अपेक्षित है कि वापसी पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय कार्यालय में तीन साल की सेवा करें और अतः नई दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय में तैनाती के लिए तैयार पदाधिकारी ही आवेदन करें।

Sr.AOs/AAOs posted abroad are required to serve in HQrs Office at New Delhi for three years on return and therefore, those willing for posting to Headquarters office at New Delhi on return, shall apply.

7. भारत में भा.लेप. एवं ले. विभाग के बाहर पहले ही प्रतिनियुक्ति पर रहनेवाले अधिकारियों/ पदाधिकारियों को दि.01.01.2022 के अनुसार तीन सालों की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि पूरी करनी चाहिए।
Officers/officials who had earlier been on deputation, in India, outside IA&AD, must have completed a compulsory cooling-off period of 3 years in the department as on 01.01.2023.

8. सर्तकता तथा अनुशासनिक दृष्टिकोण से पदाधिकारियों का साफ होना जरूरी है और उनको अब तक मामूली/ बड़ा दण्ड प्रदान नहीं किया गया हो।

Officials should be clear from Vigilance and disciplinary angle and should not have been awarded minor/major penalty in the past.

9. व.लेप.अधिकारियों/ स.लेप.अधिकारियों को लेखापरीक्षा का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप्लिकेशन, विशेषकर एम एस ऑफिस की प्रवीणता अत्यावश्यक है।

Sr. AOs/AAOs should have adequate experience in audit. Proficiency in computer software applications, particularly MS Office is a must.

10. अधिकारियों / पदाधिकारियों में मूल कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्षमता हो।

Officers/officials should possess substantially high capacity to do original work.

11. नामित अधिकारियों/ पदाधिकारियों और उनके आश्रितों में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और अपने व्यक्तिगत तथा कार्यालयीन जीवन में गरिमा और शिष्टता बनाए रखने की क्षमता हो।

Nominated officers/officials and their dependents should possess an ability to get along with others and to maintain dignity and decorum in personal and official life.

12. अधिकारियों/ पदाधिकारियों की गार्हिक प्रतिबद्धताएं, विदेश में उनकी कार्यालयीन कर्तव्यों पर बाधा उत्पन्न न करें।
Commitments of the officers/officials at home should not hamper the effective performance of their official duties abroad.
13. अनुशंसित अधिकारियों का परिवार छोटा हो। उनके पति/पत्नी में धारा-प्रवाह अंग्रेजी बोलने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए।
Officers recommended should have a small-sized family. The spouse should be able to speak and write English fluently.
14. अधिकारीगण / पदाधिकारीगण और उनके परिवार देश के अच्छे प्रतिनिधि हो।
Officers/officials and their family should be good representatives of the country.
15. छोटे बच्चों वाले अधिकारियों / पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Officers/officials with younger children are preferred.
16. विदेश में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के विस्तार हेतु अनुरोध पर जो भी हो, किसी भी कारणवश विचार नहीं किया जाएगा।
No request for extension of tenure of deputation abroad, for any reason, whatsoever, will be entertained.
17. अधिकारियों / पदाधिकारियों और उनके परिवार वालों का रवैया महानगरीय हो और उनकी आदतें लचीली हो।
Officers/officials and his/her family should have a cosmopolitan attitude and be flexible in their habits.

इस कार्यालय के वाणिज्यिक संवर्ग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारीगण तथा सहा.लेखापरीक्षा अधिकारीगण जो कि इच्छुक एवं योग्य हैं वे संलग्न प्रपत्र में अपने आवेदन की चार प्रतियां प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) कार्यालय के प्रशासन अनुभाग में दि.23.06.2023 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

Senior Audit officers and Assistant Audit Officers of Commercial Cadre of this office who are willing and eligible may submit their application in the enclosed proforma in quadruplicate to the Administration Section of the O/o the PAG (Audit II) on or before 23.06.2023.

(प्र.मले के दि. 15.06.2023 के आदेशानुसार / vide orders dated 15.06.2023 of PAG)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन
Sr. Audit Officer/Administration

सेवा में To

- 1 सूचनापट्ट / Notice Board
- 2 मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग / All Sections in Main office
- 3 शाखा कार्यालय, तृशर / Branch office, Thrissur